



डॉ विवेकानंद तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार
मो० – 7839001436

‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020’ के आलोक में भारतीय भाषा और व्यावसायिक शिक्षा

2030 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में भारतीय भाषाओं, संस्कृति, परंपरा, कला एवं दर्शन को लेकर भी एक नवीन दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की जरूरत महसूस होती है। आज जब पूरा विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है और आज की टेक्नोलॉजी के युग में अमेरिका अथवा सुदूर विदेश में हो रहे छोटे परिवर्तन भी सभी अर्थव्यवस्थाओं एवं सभी देशों पर प्रभाव डालने वाले साबित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस ग्लोबल विलेज वाले स्वरूप को हमें भी अपने देश के लाभकारी परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता है।

भारत बहुत ही तीव्र गति से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है। हमें विश्व गुरु बनने के लिए निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के माध्यम से भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्यगामी दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था समग्र और बहु- विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही है।

नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज का समय बिग डाटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) का है। बहुत से वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी और दूसरी ओर डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी, जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो, तब हमें निश्चित रूप से अपनी आने वाली पीढ़ी के समक्ष एक आदर्श शिक्षा प्रणाली को और उसके क्रियान्वयन को रखने की आवश्यकता महसूस होती है। वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश होना चाहिए, तथा शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो न की शिक्षक केंद्रित। व्यावसायिक एवं कौशल युक्त शिक्षा देने के लिए जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर छात्रों के अंतर्मन की निर्मिती होनी चाहिए।

आज के वैश्विक परिदृश्य में जब मशीनें जॉब के संकट को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं और रोजगार दिनों दिन कम होते जा रहे हैं तब हमें रचनात्मक क्षमताओं का विकास करके ही अपना जीविकोपार्जन किया जा सकता है। अगले 10 वर्षों में निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा और इस विस्तार के साथ ही साथ मानविकी और कला की मांग भी बढ़ेगी।

इन सभी उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही हमें भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति, परंपरा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा एवं उनकी चुनौतियों एवं समाधान को खोजने की आवश्यकता महसूस होती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हमें

भारतीय भाषा, भारतीय भाषाओं का अंतर्संबंध, भारतीय भाषाओं के माध्यम से हमारा सामाजिक ताना-बाना और इन्हीं भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल शिक्षा की प्राप्ति और देश के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार किस प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा सकता है? उसकी खोज भी करना अति आवश्यक प्रतीत होता है।

भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। यह सभी भाषाएं विभिन्न भाषा परिवारों अर्थात् भारत-आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक- एशियाई परिवार, चीनी- तिब्बती परिवार के अंतर्गत आती हैं। यह भाषा परिवार एक दूसरे से संबद्ध और असंबद्ध होते हुए भारत के भाषायी चित्र को पूरा करते हैं।

इन विभिन्न भाषा परिवारों की भाषाओं को बोलने वालों में परस्पर समरसता रही है। एक भाषा- भाषी समुदाय ने दूसरे भाषा- भाषी समुदाय के सामाजिक- सांस्कृतिक विकास में साथ दिया और आवश्यकता के अनुसार उसकी भाषा को सीखता रहा, अपनाता रहा और उसमें प्रवीणता प्राप्त कर उस भाषा के साहित्य के विकास में सक्रिय सहयोग भी देता रहा। इस प्रकार शताब्दियों के सामाजिक- सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया में भारत की सामाजिक- सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता सुदृढ़ हो गई।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इतनी मातृभाषाओं के बावजूद देश की संप्रेषण व्यवस्था में कहीं कोई कठिनाई या बाधा दिखाई नहीं देती। इन भाषाओं में सातत्य मिलता है। इसी सातत्य के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक भाषाओं में कहीं भी टूटन नहीं मिलती। इसलिए भारत में बहुभाषिकता किसी विशेष समस्या के रूप में न उभरकर, सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप सहज और प्राकृतिक लक्षण के रूप में उद्भूत हुई है। भारत की यह बहुभाषिकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है, वरन विभिन्न प्रदेश भी बहुभाषी हैं। भारत की यह बहुभाषिकता प्राचीन काल से निरंतर चली आ रही है।

भारतीय भाषाओं के माध्यम से कला और संस्कृति का संवर्धन किया जा सकता है। भारत एक बहुभाषी देश है। इन भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान शताब्दियों से हो रहा है। इन भाषाओं और संस्कृतियों के बीच अनुवाद संवाद सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। वास्तव में शताब्दियों के सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया के चलते देश में सांस्कृतिक एकीकरण में दृढ़ता आई है। देश में विभिन्न भाषाओं, आचार- विचारों और मत- मतांतरों के होने के बावजूद हमारी अखंडता और एकता पर कोई आंच नहीं आई। विविध भाषा परिवारों की भाषाओं को बोलने वालों में परस्पर सद्भाव बनाए रखने में अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी अनुवाद एक सामाजिक आवश्यकता है।

भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य और ज्ञान- विज्ञान के विकास में अनुवाद का विशेष महत्व रहा है। अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं में किए जा रहे कार्यों का परिचय मिलता है। उनमें निहित साहित्यिक सौंदर्य का रसास्वादन होता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, कबीर, तिरुवल्लुवर, कंबन, सुब्रमण्यम भारती, वेमना, पोतन्ना, संत बसवेश्वर, कुवेंपु, एषुत्छन, परमेश्वरअय्यर, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत्चंद्र, भाई वीर सिंह, ज्ञानदेव, नामदेव आदि अनेक भाषाओं के कवि और साहित्यकार भारतीय साहित्य के ज्ञानदीप हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद एक ऐसी विधा है, जिसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। सर्जनात्मक साहित्य के साथ-साथ प्रशासन, बैंकिंग, पर्यटन, विज्ञापन, बाजार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य असीम मात्रा में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। इसके लिए एक इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रीटेशन (I.I.T.I.) की स्थापना की जाएगी। आईआईटीआई अपने अनुवाद और व्याख्या करने के प्रयासों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा।

आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केरल के कोच्चि नगर से 40 किलोमीटर दूर कालडी कस्बे में जन्म लिया और वह मलयाली भाषी थे। उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए भारत के पूर्व में जगन्नाथ पुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर के बद्रीनाथ और दक्षिण के श्रृंगेरी में चार मठ स्थापित किए थे। 13वीं- 14वीं शताब्दी में तमिल भाषी रामानुजाचार्य ने वाराणसी में आकर भक्ति आंदोलन चलाया, तेलुगु भाषी वल्लभाचार्य, कन्नड़ भाषी मध्वाचार्य और मलयालम भाषी निंबार्काचार्य ने वृंदावन

में रहकर कृष्ण और राधा संप्रदाय की अलख जगाई। इन सभी आचार्यों ने संस्कृत और अपनी-अपनी भाषाओं में जो ज्ञान प्राप्त किया, उत्तर भारत में उसे तत्कालीन संपर्क भाषा संस्कृत अथवा हिंदी में प्रसारित- प्रचारित करने का कार्य किया। अतः भारत की यह नियति है कि बहुभाषी होने के नाते इसने अनुवाद की परंपरा को बनाए रखा। इस कारण भारतीय भाषाओं में लगातार होते रहे अनुवादों के कारण इन भाषाओं की व्याकरणिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना में काफी समानता मिलती है।

आधुनिक युग में अनुवाद मानव जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है जो हमारे दैनंदिन कार्यों के लिए आवश्यक है। इन प्रयोजनों से अनुवाद के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं।

भारत में प्रशासन, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, जनसंचार, प्रौद्योगिकी आदि कार्य क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होता है, इसलिए इन कार्यक्षेत्रों में द्विभाषिकता की स्थिति बनी हुई है। भारतीय भाषाओं को अगर हम व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखने और सीखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत के एकीकरण के लिए यह कदम सार्थक होगा। भारतीय भाषाओं को समझने वाले और पढ़ने वाले अध्येताओं के लिए 2 से 3 भाषा का तुलनात्मक ज्ञान काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, जिसके माध्यम से साहित्यिक संपदा का आदान-प्रदान, भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक परंपरा और अनुवाद परंपरा के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ आधार मिला है। अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं के बीच आदान-प्रदान की प्रक्रिया चलती रही है और इन भाषाओं ने एक दूसरे से शब्द लेने में भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार अनुवाद ही एक ऐसा विकल्प है जो विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य, विज्ञान, तकनीकी आदि को सर्वसुलभ और सार्वजनिक बनाने में सहायता करता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में एकता और अखंडता को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अनुवाद की आवश्यकता है। अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। अनुवाद के माध्यम से विश्व संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। विश्व साहित्य और अनुवाद के माध्यम से हम सभी देशों से सांस्कृतिक संबंधों को भी विकसित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से पर्यटन के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के कई आयामों को खुलने की संभावना मिल सकती है। विभिन्न विभिन्न भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के माध्यम से ही हो पाया है। ज्ञान- विज्ञान, व्यापार, धर्म प्रचार आदि इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद एवं भारतीय भाषा का प्रवेश कराना निश्चय ही भारतीय संस्कृति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

भारत में समग्र एवं बहु विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित/वर्णित करती है और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायन शास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का काम, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ ही साथ संप्रेषण, चर्चा और वाद संवाद करने के व्यवहारिक कौशल (Soft Skills) भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशल को कलाओं के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए और इनको शिक्षा में किस प्रकार समायोजित करना है। इस पर बहुत तरीकों से विचार किया गया है। यह विचार की इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र (जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशल शामिल हैं) को 'कलाओं' के रूप में देखा जाना चाहिए, भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार या जैसा की आधुनिक युग में जिसे 'लिबरल आर्ट्स' (कलाओं का एक उदार नजरिया) कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, चूंकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में STEM (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी, गणित) शिक्षा की वकालत बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार की शिक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य ही स्वावलंबी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। इस

STEM शिक्षा के साथ मानविकी और अन्य कला की शिक्षाओं को अगर जोड़ देते हैं तो अवश्य ही हमें सकारात्मक वैश्विक परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था के साथ साथ आदर्श वैश्विक नागरिक का भी निर्माण होगा।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत 5 परसेंट लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। जबकि यूएसए 52 परसेंट, जर्मनी 75 परसेंट और दक्षिण कोरिया में 96 परसेंट पर यह संख्या काफी अधिक है। 2013 में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और अकादमी या अन्य क्षमताओं का विकास साथ-साथ होगा। NEP 2020 में स्पष्ट: लिखा गया है कि, 'अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे।'

इसी क्रम में वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री B. Voc पूर्व की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें 4- वर्षीय बहु विषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों को Soft Skills सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी। 'लोक विद्या' अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण (स्किल गैप एनालिसिस) और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से, व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमिटी फॉर दी इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन(NCIVE) का गठन करेगा।

स्टैंड अलोन कृषि विश्वविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य विषयों के stand-alone विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अपने आपको एक बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित करना होना चाहिए जो कि एक समग्र और बहु विषयक शिक्षा मुहैया करवाए। व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थान वर्ष 2030 तक समेकित रूप से दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान या संस्थान समूह बनने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे।

कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े पेशेवरों में तेजी से वृद्धि की जाएगी। कृषि शिक्षा की प्रक्रिया को ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा जो कि स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और उभरती हुई तकनीकों को समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे की भूमि की गिरती उत्पादन शक्ति, जलवायु परिवर्तन, हमारी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता आदि को लेकर जागरूक हो।

NEP 2020 द्वारा माध्यमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का भी जल्द क्रियान्वयन करने पर विचार किया जा रहा है।